



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 42-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2018

दिनांक 15 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अभियन्ता को स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित निगम को आवण्टित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/अभि०सं०/ गृह जनपद/से०नि० की तिथि	वर्तमान पदनाम एवं तैनाती का कार्यालय/निगम	स्थानान्तरण के पश्चात आवण्टित निगम
1	2	3	4
1.	श्री प्रमोद कुमार/9109/ मेरठ/30.09.2024	अधीक्षण अभियन्ता (जानपद),(मुख्यालय), पारेषण-2, उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेरठ

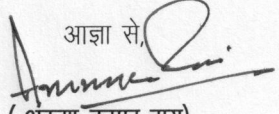
- स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण होने के दृष्टिगत श्री प्रमोद कुमार को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं ज्वाइनिंग टाइम इत्यादि अनुमन्य नहीं होगा।
- उक्त आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का०ज्ञा० में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरित अभियन्ताओं को तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय एवं उनके द्वारा नव तैनाती निगम में कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाणक कारपोरेशन मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय। अन्यथा की स्थिति में कार्यालय ज्ञाप सं०-270-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2018-100(1)प्र०सु०/92 दिनांक 28.03.2018 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति के बिन्दु सं०-10(i) एवं 10(ii) में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- निगम को आवण्टित अधिकारी की तैनाती उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की वर्तमान स्थानान्तरण नीति के अनुरूप सम्बन्धित निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 42-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मा० ऊर्जा मंत्री/मा० ऊर्जा राज्य मंत्री के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- समस्त निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०न्समिशनका०लि०।
- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- उप सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार राय)
उप सचिव(02अ)